First ISO 9001:2000 certified
Government organisation in Chhattisgarh

# छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं प्रमोशन सोसायटी "चिप्स"

# चिप्स के आंतरिक अंकेक्षण हेतु सी.ए. फर्म के चयन हेतु विवरणिका

प्रथम निविदा सूचना

*मूल्य रु. 300/-*

# (अध्याय–1)
# विज्ञापन

**OFFICE OF CHiPS**

**S D C. Bhawan, Civil Lines, Raipur (C.G.)**
Tel: 0771-4066277, Fax: 0771-4066205
www.chips.gov.in

No 1065 /CEO/ CHiPS /2020 Raipur, Dated: 12 / 06 /2020

## EXPRESSION OF INTEREST

Letter for expression of interest are invited for Internal Audit Work of CHiPS from Chartered Accountant partnership firm having 5 years experience in auditing of Government/ Semi Government Organization and audit of Society Registration act 1973. Eligible interested party should apply in prescribed expression of interest document available at CHiPS website **www.chips.gov.in**. The last date of submission of expression of interest documents is 25/06/ 2020.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CHiPS

# (अध्याय–2)
# मुख्य तिथियां

1. उपरोक्त निविदा प्रपत्र चिप्स की वेबसाईट से डाऊन लोड कर निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र के लिफाफे जमा करने के साथ प्रपत्र मूल्य 300/– बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर के नाम देय हो, जमा करना आवश्यक है, अन्यथा प्रस्ताव मान्य नहीं किया जायेगा।

2. सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि– 25/06/2020, दोपहर 2 बजे तक।

3. व्यवसायिक प्रस्ताव खोलने की तिथि– 26/06/2020, सायंकाल 4 बजे।

4. वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि– 29/06/2020, सायंकाल 4 बजे।


<u>संपर्क का पता</u>

**छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)**
**चिप्स कार्यालय, एस डी सी भवन, सिविल लाईन्स,**
**रायपुर 492001**
**फोन नंबर–0771–4014158, फैक्स नंबर–0771–4066205**
Mail Id- finance.chips@cgchips.in , ceochips@nic.in

# (अध्याय–3)

# चिप्स के आंतरिक अंकेक्षण हेतु सी.ए. फर्म के चयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव

सी.ए. फर्म द्वारा योग्य एवं कुशल कार्यकर्ताओं के माध्यम से चिप्स के क्रियाकलापों से संबंधित अंकेक्षण कार्य कराया जावेगाः–

1. **सेवा का स्वरूप –**

(1.1) चिप्स के बैलेंस शीट, आय–व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान संबंधित लेखाओं का अंकेक्षण।

(1.2) चिप्स को राज्य शासन, केन्द्र शासन एवं अन्य विभागों से प्राप्त राशि का लेखांकन एवं उपयोगिता की जांच करना।

(1.3) फंड या आबंटन के शेष सहित मासिक आय–व्यय पत्रक, बैंक समाधान का विधिवत जांच करना।

(1.4) चिप्स के भुगतान रजिस्टर, प्राप्ति रजिस्टर की जांच एवं सत्यापित करना।

(1.5) चिप्स के समस्त वाउचर की जांच करना।

(1.6) वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए नियमों का जांच करना।

(1.7) परियोजनाओं में प्राप्ति एवं भुगतान से संबंधित खातों का सत्यापन करना।

(1.8) चिप्स से संबंधित अन्य संस्थान 36INC का आंतरिक अंकेक्षण।

(1.9) ऑडिट रिपोर्ट एवं इनकम टैक्स रिटर्न को फाईल करने की जवाबदेही नियत तिथि में ऑडिटर फर्म की होगी, एवं अन्य कार्य जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत आते हो।

A) देयकों में जी.एस.टी प्रभाव का पर्यवेक्षण एवं जी.एस.टी. हेतु नियुक्त सलाहकार से समन्वय।

B) अन्य दस्तावेंजों की जांच एवं सत्यापन।

2. **पात्रता एवं मूल्यांकन मापदंड :–**

EOI दस्तावेजों में वर्णित मापदंडो को पूरा करने एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुभव होना चाहिए। निविदाएं सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए और EOI दस्तावेजों में निर्धारित मापदंडो को पूर्ण करना चाहिए।

## (2.1) पात्रता मापदंड :–

| क्रमांक | पात्रता / योग्यता | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | सी.ए.जी में इम्पेनलड या रजिस्ट्रर्ड | फर्म को 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट्स ऑफ इंडिया एवं नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (2019–20) में पंजीकृत / इम्पेनलड होना चाहिए तथा 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। |
| 2 | आयकर / जी.एस.टी. पंजीयन | फर्म का आयकर एवं जी.एस.टी. पंजीयन अनिवार्य है। |
| 3 | पंजीकृत कार्यालय / शाखा | छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कानून के अनुरूप फर्म को उपयुक्त लायसेंसधारी होना चाहिए, सी.ए. फर्म का हेड ऑफिस / शाखा छत्तीसगढ़ रायपुर में पंजीकृत होना चाहिए। |
| 4 | फर्म में सी.ए. की संख्या | फर्म में कम से कम 8 पूर्णकालिक सी.ए. (भागीदार) हो जो आई.सीए.आई. द्वारा के सदस्य हो (4 FCA & 1 DISA) (as per certificate of ICAI as on 01/01/2020 for a Partnership Firm). |
| 5 | ऑडिट फर्म स्वतंत्र होना चाहिए। | 1. फर्म द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में चिप्स के लेखांकन कार्य न किया गया हो।<br>2. ऑडिट कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक फर्म या फर्म के पार्टनर द्वारा चिप्स में साथ–साथ लेखांकन Assignment नहीं लिया जायेगा।<br>3. फर्म द्वारा चिप्स के Clients से संबंधित विषय में Conflict of Interest न होने का शपथ पत्र दिया जाएगा। |

**अन्य मापदंड :–**

1. प्रधान कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित होने पर न्यूनतम टर्नओवर 50 लाख एवं ब्रांच कार्यालय की दशा में न्यूनतम टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए।
2. टर्नओवर का औसत वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के आधार पर गणना की जावेगी।
3. ऑडिट कार्य की किसी भी स्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जावेगी तथा गोपनीयता बरती जावेगी।

4. फर्म को चिप्स का डेटा चिप्स कार्यालय के बाहर अन्य स्थान, ड्राईव या मशीन पर रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
5. कार्य संतोषजनक होने पर सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार आगामी वर्ष के आंतरिक अंकेक्षण हेतु कार्यादेश दिया जा सकता है।
6. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उचित दर से कटौती की जावेगी। इसका अधिकार चिप्स के पास सुरक्षित रहेगा।
7. चिप्स के किसी संव्यवहार, पत्र व्यवहार अथवा मुद्दे पर प्रतिनिधित्व करने हेतु ऑडिट फर्म बगैर पूर्व अनुमति के अधिकृत नहीं होगी।
8. **त्रुटि की दशा में जिम्मेदारी** :–सौंपे गये चिप्स के कार्य संपादन में हुई फर्म की किसी भी त्रुटि/भूल के लिए चिप्स द्वारा उसके एग्रीमेंट को पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु फर्म को सुधार/समाधान हेतु दो सप्ताह का सूचना पत्र जारी किया जावेगा। इसके फलस्वरूप उस सेवा को जारी रखने हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय भार चिप्स पर पड़ता है, तो फर्म द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जावेगी।
9. **कार्य निरस्तीकरण :–** फर्म द्वारा किया गया कार्य किसी भी प्रकार से चिप्स की आवश्यकताओं, तार्किक दृष्टिकोण से अथवा पर्याप्त स्तर के अनुकूल न होने की स्थिति में उस कार्य को निरस्त किया जा सकेगा अथवा फर्म को उसमें एक निश्चित समयावधि में बिना अतिरिक्त व्यय के सुधार करने कहा जावेगा। इस पर भी सुधार न होने की दशा में चिप्स इसे अन्य स्त्रोतों से सुधार या पूर्ण करने, निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार होने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति फर्म से वसूल कर की जा सकेगी और अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा। इस प्रकार की त्रुटि, असद्व्यवहार अथवा लापरवाही के कारण होने वाले हानि या नुकसान की भरपाई पूर्णतः या अंशतः फर्म से की जा सकेंगी।
10. **निविदा मूल्य :–** निविदा मूल्य की राशि रु. 300/– बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर के नाम से निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा। यदि उक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक नहीं दिया जाता है तो निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
11. **मानव संसाधन उपलब्ध कराना :–** फर्म को एक चार्टर्ड एकाऊंटेंट 5 वर्ष के अनुभव एवं 2 सेमी क्वालिफाईड ऑडिटर फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे, जो चिप्स कार्यालय में आंतरिक अंकेक्षण संबंधित कार्य करेंगे।
12. **ऑडिट समीक्षा समिति** :– सी.ए. से प्राप्त अभिमत के Observation एवं किसी भी प्रकार के प्रश्नावली के तात्कालिक निराकरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है जो कि निम्नानुसार हैः–

    मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स – अध्यक्ष

    अपर संचालक, वित्त, चिप्स – सदस्य

    संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वित्त – सदस्य

    संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना – सदस्य



18

प्रबंधक, वित्त – सदस्य

13. आशय पत्र प्रस्तुति के साथ समस्त आवश्यक क्लीयरेंसेस, सर्टिफिकेट्स एवं अनुमतियां आदि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
14. आशय पत्र नीचे लिखे विवरण अनुसार दो पृथक–पृथक लिफाफों में देना होगा। इन दोनों लिफाफों को एक साथ लिफाफे में सीलबंद कर निविदा मूल्य की राशि रु. 300/– बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक सहित चिप्स कार्यालय, एस डी सी भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर 492001 में नियत तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करना होगा।
15. सी.ए. फर्म को उपरोक्त बिंदुओं पर एक अनुबंध चिप्स के साथ निष्पादित करना होगा।
16. कार्यादेश जारी होने के 90 दिवस के अंतर्गत या रिटर्न फाईलिंग अवधि समाप्ति से पहले ऑडिट कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
17. यदि फर्म कार्यादेश जारी करने के उपरान्त नियत तिथि तक अनुबंध निष्पादित नहीं किया तो उनका कार्य निरस्त कर दिया जावेगा, तथा उसके उत्तरवर्ती फर्म को कार्य दिया जा सकेगा।
18. फर्म शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये।
19. फर्मो से प्राप्त निविदा के व्यावसायिक या वित्तीय निविदा समतुल्य होने की दशा में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं गठित समिति के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. किसी भी प्रस्ताव या समस्त प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को रहेगा।
21. निविदा के अनुरूप दस्तावेंज अपूर्ण होने की दशा में स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
22. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्तावः–
    (i) यदि दो या अधिक निविदादाता को वित्तीय मूल्यांकन में समान दर प्राप्त हुए तो शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में प्राथमिकता के क्रम में निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में किये गये कार्य/अंकेक्षण/ कार्यानुभव तत्पश्चात् एफ.सी.ए. साझेदारों की संख्या तत्पश्चात् वार्षिक टर्नओवर या अन्य के आधार पर वरियता दी जायेगी। निविदाकार के निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं गठित समिति के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

# लिफाफा क्रमांक–1

इसे लिफाफा क्रमांक–1 में रखें तथा उस पर "व्यवसायिक जानकारी" लिखें

## भाग– अ

Requisite information form
C.A. Firm for Office of CHiPS

Name of Organization ------------------------------------------------

Address of registered Head Office ------------------------------------------------
(With phone & mobile No) ------------------------------------------------

Local Communication Address at Raipur ------------------------------------------------
(with landline phone No) ------------------------------------------------

Mail ID ------------------------------------------------

Name of Person Signing EOI ------------------------------------------------

Designation of Person Signing EOI ------------------------------------------------

Registration No. of Organization
1------------------------------------------------
2------------------------------------------------
3------------------------------------------------

(Enclose self certified copy of Certificates- (1) Registration as CA (2) Registration of firm (3) Registration for GST)

Year of experience ------------------------------------------------

**I unconditionally and fully accept all the terms and conditions for this tender.**

Seal & Signature

Date ------------
Place ------------

इसे लिफाफा कमांक–1 में रखें तथा उस पर "व्यवसायिक जानकारी" लिखें

## भाग– ब

# व्यावसायिक जानकारी

कृपया निम्न दस्तावेज संलग्न करें–

| क्रं. | विवरण | संलग्नक कमांक |
|---|---|---|
| 1 | ICAI द्वारा जारी सी.ए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 01/01/2020 की स्थिति में | |
| 2 | सीएजी इम्पेनलमेंट लेटर वित्तीय वर्ष 2019–20 | |
| 3 | GST पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति | |
| 4 | आयकर के पैनकार्ड की फोटो प्रति | |
| 5 | अनुभव से संबंधित विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र, अनुबंध की प्रतिलिपि (स्वहस्ताक्षरित) | |
| 6 | विस्तृत प्रस्ताव, अध्याय–3 के प्रत्येक पृष्ठ की हस्ताक्षरित प्रति | |
| 7 | भागीदारी फर्म की पार्टनरशिप डीड /LLP फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें | |
| 8 | एफ.सी.ए. साझेदारों की संख्या | |
| 9 | निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र का मूल्य 300/– बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक कमांक .......................... दिनांक ............................ बैंक का नाम ................................................ | **निविदा प्रस्ताव के साथ जमा किया गया है।** |
| 10 | फर्म का वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का अंकेक्षित आय/व्यय खाते एवं चिटठा। | |
| 11 | सीएजी के अन्तर्गत फर्म के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। | |
| 12 | फर्म की ओर से अधिकृत पार्टनर का हस्ताक्षर | |
| 13 | ब्रांच टर्नओवर संबंधित दस्तावेज | |
| 14 | विगत तीन वर्षो का ब्रांचवार बैलेंस शीट एवं टर्नओवर | |
| 15 | फर्म शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होने की दशा में ₹ 50 के स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र | |

स्थान ———————————

दिनांक / /

**प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर** ——————

नाम ——————————————

फर्म ——————————————

फर्म की सील

# लिफाफा क्रमांक–2

इसे लिफाफा कमांक–2 में रखें तथा उस पर **"वित्तीय प्रस्ताव"** लिखें

# वित्तीय प्रस्ताव

मेरे द्वारा चिप्स में आंतरिक अंकेक्षण कार्य के लिये निम्नानुसार मासिक दरें प्रस्तावित की जाती है। इन दरों में सभी प्रकार के व्यय, टैक्स एवं कर सम्मिलित हैं।

| **प्रस्तावित एकमुश्त फीस की राशि (सभी प्रकार के व्यय, टैक्स एवं कर सहित)** | | |
|---|---|---|
| 1 | अंकों में | |
| 2 | शब्दों में | |

- **न्यूनतम निविदा मूल्य रूपयें 90,000/– (कर अतिरिक्त)**

स्थान ——————————

दिनांक / /

**प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर ————————**

नाम ——————————————

फर्म ——————————————

फर्म की सील